संख्या-254/2020/685/41-2020-06(जि0यो0)/2019

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ: दिनॉक 07 नवम्बर, 2020**

विषय:**-जिला योजना के अन्तर्गत जनपद-मथुरा की 03 योजनाओं के पर्यटन विकास कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6243/7-1-1(जि0यो0)/जी0एस0टी0/2019, दिनांक 17 फरवरी, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद- **मथुरा की 03 योजनाओं के पर्यटन विकास कार्यों** हेतु **उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल)** द्वारा तैयार किये गये आगणनों के सापेक्ष शासनादेश संख्या-126/2019/1013/41-2019-06(जि0यो0)/2019, दिनांक 09 मार्च, 2019 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष पर्यटन निदेशालय द्वारा कार्य पूर्ण होने के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र, निरीक्षण आख्या एवं फोटोग्राफ्स प्रेषित कराते हुए तालिका में अंकित निम्न विवरणानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	कार्य का नाम	प्रशाकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (रू0 लाख में)	जी0एस0टी0 में जमा की गयी धनराशि
1	2	3	4
1.	**कमल कुण्ड अडीग का स्थानीय पर्यटन विकास**	17.31	185464.00
2.	**नयन सरोवर ग्राम बिजहारी नन्दगांव का स्थानीय पर्यटन विकास**	8.51	91178.00
3	**बहुला वन कुण्ड वटी का पर्यटन विकास**	7.66	82072.00
	योग	**33.48**	**358714.00**

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर-2 में अंकित तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित जी0एस0टी0 की कुल धनराशि रू0 358714.00 (रूपये तीन लाख अट्ठावन हजार सात सौ चौदह मात्र) वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-126/2019/1013/41-2019-06(जि0यो0)/2019 दिनांक 09 मार्च 2019 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-09-पर्यटन स्थलों का विकास (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-1055/दस-2020 दिनांक 04 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-254/2020/685(1)/41-2020-06(जि0यो0)/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, मथुरा।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल), लखनऊ।
8- परियोजना प्रबन्धक, यूपीपीसीएल, निर्माण इकाई-36, नोएडा।
9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- उप निदेशक, पर्यटन, आगरा।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।